*29-क. स्थानों का आरक्षण.— (1) धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार अवधारित वार्डों की कुल संख्या में से प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की ऐसी संख्या आरक्षित रखी जाएगी और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम रूप से ही वही होगा जो कि उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और वे ऐसे वार्ड होंगे जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक संकेन्द्रित है।

(2) ऐसी नगरपालिका में जहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित हैं वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आवंटित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए :

परन्तु यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो कलक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के **[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के **[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में उन भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आवंटित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए।

(5) उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा में "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग।]

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय भोपाल

टिप्पणी (धारा 29, 29-क)

(1) धारा 29 में— I. वार्डों की संख्या, तथा II. वार्डों का विस्तार और III. निर्वाचनों के संचालन के बारे में उपबन्ध हैं।

(2) म. प्र. नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 राज्य सरकार द्वारा धारा 355 के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन अधिसूचना क्र. 80- अठारह-तीन- 94 भोपाल, दि. 22 जुलाई 1994 म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 जुलाई, 1994 बनाये गये हैं।

(3) वार्डों की संख्या तथा विस्तार के अवधारण (Determination of number and extent of wards) के सम्बन्ध में धारा 29 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र संहत (Compact) होगा और म्युनिसिपल (नगरपालिका) क्षेत्र के दर्मयान जनसंख्या के लिहाज से वार्ड नियत करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि जहां तक व्यवहार्य हो, प्रैक्टिकेबिल हो वहां तक सभी वार्डों की जनसंख्या एक समान रह सकें। वार्डों की

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

* म. प्र. अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित [म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 30 मई, 1994]

** म. प्र. अधिनियम क्र. 16 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।